<u>प्रेस नोट</u>

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांकः- 25.10.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः

- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अ0सं0 203/26 धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. सरवन कुमार पुत्र राजाराम निवासी ग्राम कुढ़वा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात व 2. वंदना उर्फ खुशबू पत्नी नवनीत निवासी ग्राम घनारामपुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. शिवमोहन पुत्र जमुनादास निवासी लक्ष्मीबाई नगर पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात, 2. सरनसिंह पुत्र स्व0 देवीशंकर निवासी अम्बेडकर नगर पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात, 3. सोनू कुमार पुत्र स्व0 राधेश्याम निवासी मीरपुर पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात, 4. कौशल कुमार उर्फ सुमित पुत्र बीरसिंह निवासी ग्राम असेवा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात, 5. राजन कुमार पांडेय पुत्र नवल किशोर पांडेय निवासी ग्राम हरनाथपुर जनपद सिवान (बिहार) व 6. इरशाद उर्फ लाला पुत्र इब्राहिम निवासी बर्तन बाजार पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश पत्तो से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलने, जिनके मालफड़ व जामा तलाशी से 30670/- रु0 बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 339/26 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियुक्ता ललिता देवी पत्नी बाबू सिंह निवासी चिटिकपुर थाना रनियां जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 25 अदद नाजायज क्वार्टर देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 199/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त जीतू उर्फ अटल उर्फ अंकित गुप्ता पुत्र राजेश कुमार गुप्ता निवासी शास्त्रीनगर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 27 अदद क्वार्टर नाजायज शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 413/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्ता उर्मिला पत्नी स्व0 जितेन्द्र निषाद निवासी ग्राम नरिहा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 42 क्वार्टर देशी नाजायज शराब बरामद होने के सम्बन्ध मे गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 433/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अभियुक्त अजय कुमार पुत्र अनिल कुमार गुप्ता निवासी वार्ड नं0 10 रामनगर कस्बा व थाना शिवली जनपद कानपुर देहात के कब्जे से विभिन्न प्रकार के पटाखे कुल वजन 490 किलोग्राम अवैध बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 359/26 धारा 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 09 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रूरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों व थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।